न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी :— प्रीतम कुमार आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 26/2023

प्रार्थीगण:—

1. जयप्रकाश पुत्र श्री पुष्पराज जी मुथा,
2. अशोक मुथा पुत्र श्री पुष्पराज जी मुथा,
3. अचला मुथा पत्नी श्री जयप्रकाश जी मुथा,
4. नम्रता मुथा पत्नी श्री अशोक मुथा, निवासीगण— हेमसिंह जी का कटला, महामन्दिर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1. गंगाराम पुत्र श्री सीताराम,
2. सुरेन्द्र पुत्र श्री सीताराम,
3. शांति पुत्री श्री सीताराम,
4. पुष्पा पुत्री श्री सीताराम, निवासी— सोजतिया घांचियों का बास, जोधपुर।
5. रामकिशोर परिहार पुत्र श्री पुखराज परिहार,
6. जुगलकिशोर परिहार पुत्र श्री पुखराज परिहार,
7. मनोज कुमार परिहार पुत्र श्री पुखराज परिहार,
8. जवरीलाल पुत्र श्री पुखराज परिहार, निवासीगण— घांचियों का बास, महामन्दिर, जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शिवरतन सोनी, दीपक सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
3. श्री पवन रांकावत, विष्णु कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से
4. सरकारी पेरोकार अप्रार्थी सं. 9 की ओर से।

आदेश **दिनांक** 17/4/26

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खरीदसुदा, कब्जा काश्त सुदा, संयुक्त खातेदारी की मालिकाना हक एवं स्वामित्व की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 95 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वां, खसरा संख्या 96 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वां, खसरा संख्या 97 रकबा 07 बीधा 13 बिरवां,

खासरा संख्या 98 रकबा 11 बिस्वां, खसरा संख्या 99 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वां, खसरा संख्या 107 रकबा 06 बीधा, खसरा संख्या 108 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वां, खसरा संख्या 109 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वां, कुल खसरा 08, कुल रकबा 86 बीघा 06 बिस्वां, वाके ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा, पटवार क्षेत्र जाजीवाल खिचियान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2060–2063 की खैवट खतौनी संख्या नई 41 व पुरानी 41 एवं नामान्तरकरण संख्या 315, 328, 338 से स्पष्ट है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 95, 96 97, 98 व 99 की दक्षिणी दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 सहखातेदारी की खसरा संख्या 91, 92 व 94 की कृषि भूमि आई हुई है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 107, 108, 109 की उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या 05 से 08 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 110, 111, 112 व 113 की कृषि भूमि आई हुई है। चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की कृषि भूमि के मध्य केवल मात्र अस्थाई माठ है तथा पक्की तारबंदी/बाड़ नहीं हुई है। जिसके कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण ही खातेदारी की कृषि भूमि में दखल अंदाजी उत्पन्न करते रहते है तथा आधाथी संख्या 01 से 08 आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कास्त करने पर आमादा हो जाते है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि की जहां पर प्रार्थीगण की भूमि सीमांए लगती है यहां पर सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि की सीमांओ को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर शांति पूर्ण ढंग से काश्त कर सके और उपयोग व उपभोग कर सके। इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिस बाबत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय में पेश है।अप्रार्थी संख्या 01 से 08 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि होना बताकर उस पर काबिज होने का प्रयास करते रहते है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 08 प्रार्थीगण के साथ लड़ाई.झगड़ा करने पर आमादा हो जाते है। इसलिए प्रार्थीगण सदैव अपनी खातेदारी की भूमि के बाबत् होने वालें झगड़ों से निजात पाने हेतु अपनी भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते हैए ताकि सीमाओं को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो और दोनों पक्ष एक.दूसरे की भूमियों में किसी भी प्रकार की दखल अदांजी नहीं करे किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 08 न तो सीमाओं का निर्धारण करवाना चाहते हैए न ही पत्थरगढी करवाना चाहते है तथा लगातार प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने हेतु आमादा रहता है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा सतर्कता रखने के कारण आधार्थी संख्या 01 से

Pl

08 अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते है। प्रार्थीगण रोज–रोज के झगड़े व विवादों से निजात पाना चाहते है. इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त चर्णित कृषि भूमि ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को श्रवण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी का प्रार्थना निम्न प्रकार है–

(अ) कि खसरा संख्या 95 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वां, खसरा संख्या 96 रकया 08 बीघा 05 बिस्या, खसरा संख्या 97 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वां, खसरा संख्या 98 रकबा 11 बिस्वां, खसरा संख्या 99 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वां खसरा संख्या 107 रकबा 06 बीधा, खसरा संख्या 108 रकबा 14 बीघा 09 दिबत्त्वां, खसरा संख्या 109 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वां, कुल खसरा 08 कुल रकबा 86 बीघा 06 बिस्वां, वाके ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा, पटवार क्षेत्र जाजीवाल खिचियान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल, तहसील व जिला जोधपुर की राजस्व टीम गठित कर सीमांकन/पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 उपस्थित लेकिन उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बंद किया जाता है। शेष अप्रार्थीगण को भी जवाब पेश करने हेतु अवसर दिए जा चुके है लेकिन उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया अतः उनका भी जवाब बंद किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमाक 3422 दिनांक 22.05.2025 के अनुसार ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा खसरा संख्या 95, 96,97,98,99 एवं 107,108,109 के खातेदारान के साथ मय पटवारी जाजीवाल गेहलोता मौके पर वस्तुस्थिति जांच व सीमांकन कर जांच रिपोर्ट तैयार की गई एवं वर्तमान जमाबंदी संवत् 2081 से लगातार में खसरा वार खातेदार का विवरण इस प्रकार हैः–

क.सं.	**खसरा नं.**	**रकबा हैक्टे**	**किस्म**	**खातेदार**
1.	95	1.2545	बारानी ।	अचला मुथा पत्नी जयप्रकाश मुथा अशोक मुथा पुत्र पुष्पराज मुथा जयप्रकाश मुथा पुत्र पुष्पराज मुथा नम्रता मुथा पत्नी अशोक मुथा
2.	96	1.3355	बारानी ।	
3.	97	1.2383	बारानी ।।।	
4.	98	0.0890	बारानी ।	
5.	99	4.3787	बारानी ।।।	
6.	107	0.9712	औद्योगिक प्रयोजनार्थ	जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
7.	108	2.3391		
8.	109	2.3634		

उक्त खसरे मौके पर उक्त खातेदारों के कब्जा काश्त मौके पर कच्ची मेड़ एवं माठ पाई गई। वर्तमान जमाबंदी में न्यायालय संबंधित कोई भी किसी प्रकार का स्थगन नोट अंकित नहीं है।

उक्त खसरों का का सीमांकन किया गया जो मौके स्थिति अनुसार निम्न प्रकार है:—

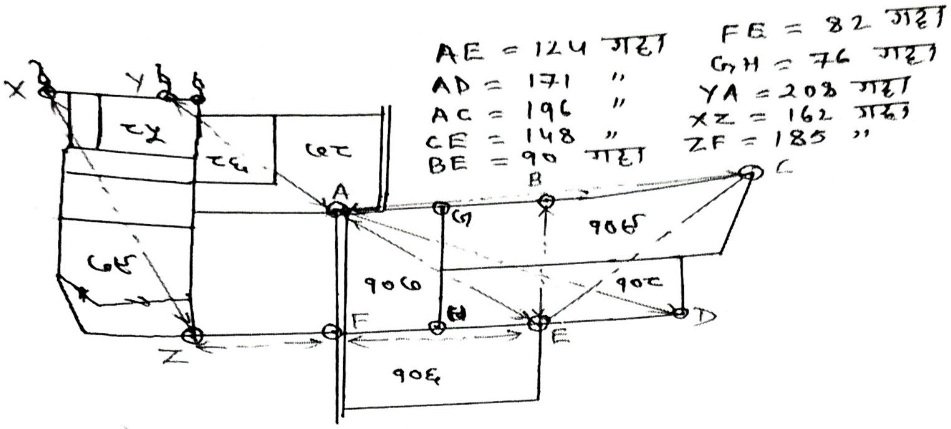

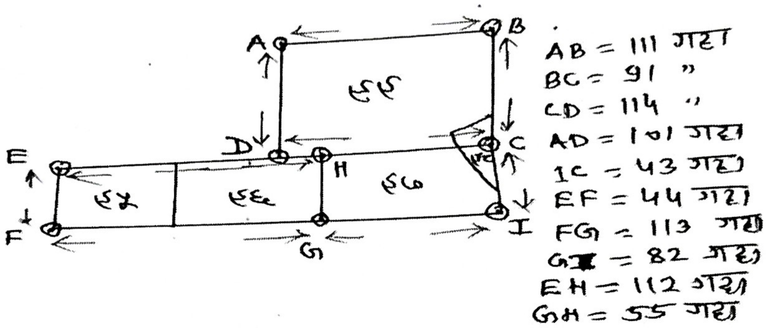

जांच रिपोर्ट तैयार कर मौका पर मौजूद खातेदारोन को पढ़कर सुनाई सभी ने पढ़सुनकर हस्ताक्षर किये मौका जांच रिपोर्ट एवं सीमांकन श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है।

Jaipur

(प०म० आजी गोहलोत)

प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों पर ही अपनी बहस की। अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि प्रार्थीगण की खरीदसुदा, कब्जा काश्त सुदा, संयुक्त खातेदारी की मालिकाना हक एवं स्वामित्व की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 95 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वां, खसरा संख्या 96 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वां, खसरा संख्या 97 रकबा 07 बीघा 13 बिरवां, खासरा संख्या 98 रकबा 11 बिस्वां, खसरा संख्या 99 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वां, खसरा संख्या 107 रकबा 06 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वां, खसरा संख्या 109 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वां,

कुल खसरा 08, कुल रकबा 86 बीघा 06 बिस्वां, वाके ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा, पटवार क्षेत्र जाजीवाल खिचियान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 95, 96 97, 98 व 99 की दक्षिणी दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 सहखातेदारी की खसरा संख्या 91, 92 व 94 की कृषि भूमि आई हुई है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 107, 108, 109 की उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या 05 से 08 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 110, 111, 112 व 113 की कृषि भूमि आई हुई है। चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की कृषि भूमि के मध्य केवल मात्र अस्थाई माठ है तथा पक्की तारबंदी/बाड़ नहीं हुई है। भविष्य में उक्त खसरों की भूमि के बारे में किसी भी प्रकार विवाद नहीं होने के कारण प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 कोई उपस्थित नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 95 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वां, खसरा संख्या 96 रकबा 08 बीघा 05 बिस्वां, खसरा संख्या 97 रकबा 07 बीघा 13 बिरवां, खासरा संख्या 98 रकबा 11 बिस्वां, खसरा संख्या 99 रकबा 27 बीघा 01 बिस्वां, खसरा संख्या 107 रकबा 06 बीघा, खसरा संख्या 108 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वां, खसरा संख्या 109 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वां, कुल खसरा 08, कुल रकबा 86 बीघा 06 बिस्वां, वाके ग्राम जाजीवाल ब्राह्मणा, पटवार क्षेत्र जाजीवाल खिचियान, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल, तहसील व जिला जोधपुर के सर्व प्रथम पक्षकारों को सूचित करते हुए सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आप स्वयं मौके पर जाकर पूर्व में दिनांक 16.05.2025 को निर्धारित सीमाचिन्ह के अनुसार एवं सभी प्रभावित पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर मुटाम कायम किये जाने का आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते है साथ ही तहसीलदार जोधपुर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढ़ी कायम किये जाते वक्त पुलिस इमदाद की आवश्यकता हाने पर नियमानुसार पुलिस इमदाद के साथ आदेश की पालना की जावे।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 17/4/26 को खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(प्रीतम कुमार) IAS
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)